तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.05.26	पत्रावली पेश हुई। दोनो पक्षो के अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार सिवाना से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिस पर दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई । वादीनी अधिवक्ता ने विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति जाहिर कर कथन किया कि तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव में समानता का अभाव है वादीनी को सडक से लगती हुई भूमि प्रतिवादी की तुलना में कम दी गई है, माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी में प्रतिवादी द्वारा समान बंटवाडा का स्वीकारोक्ति किये जाने पर वादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र विड्रोल किया गया, लिहाजा तहसीलदार सिवाना से पुनः विभाजन प्रस्ताव तलब की जावे। प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस है कि तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव वादग्रस्त आराजी का विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 अध्याय 4 के नियम 18 से 21 में दिये गये निर्देशो के अनुरूप तैयार कर प्रेषित किया गया है, वादिनी द्वारा जिस सेढे पर मांग की उसी अनुसार वादिनी को वादग्रस्त भूमियों पर हिस्सा दिया गया है, वाद पत्र में माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष पक्षकारन के मध्य समान बंटवाडा का समझौता हुआ हो इस तरह का कोई भी दस्तावेज नहीं है। लिहाजा प्रतिवादी की आपत्ति सारहीन होने से खारिज फरमाया जाकर तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिक्री जारी की जावे। हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली व तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव का गंभीरता से अवलोकन एवं मनन किया। तहसीलदार सिवाना ने विभाजन प्रस्ताव में अंकन किया है कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव अनुसार मौके वार वादीनी व प्रतिवादी का कब्जा है एवं उसी अनुसार वादीनी का मौके पर खरीद समय से कब्जा एवं काश्त है। इससे स्पष्ट है कि वादीनी को खरीद भूमि अनुसार ही मौके पर भूमि दी गई है। जहां तक प्रश्न आपसी समझौता का है तो वादीनी ने इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है।	

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म में जारी हुए

लिहाजा वादीनी की आपत्ति अस्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी ग्राम सिवाना के खसरा संख्या 1254, 3318/1255 कुल रकबा 1.9734 हैक्टेयर भूमि का निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित अनुसार पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है:–

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	बरंग
1	कंकू पत्नी मांगीलाल जाति राईका सा.देह खातेदार रहन एस. बी.आई.ए.डी.बी शाखा सिवाना	1254 3318/1255	0.0904 0.8963	लाल
	योग	2	0.9867	लाल
2	महिपालसिंह पुत्र अनोपसिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार	3318/1255	0.9867	भूरा
	योग	1	0.9867	भूरा

तहसीलदार सिवाना को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। बैक रहन उक्त आदेश से अप्रभावित रहेगा विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

सेवा में

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बालोतरा) व
बइजलास सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

वादिनीः–

कंकू पत्नी मांगीलाल जाति राईका निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. नारायण पुत्र देवा जाति राईका निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा
3. उप पंजीयक,उपजीयक कार्यालय सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा
4. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा ए.डी.बी. सिवाना

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नंबर :–52 / 2025 **निर्णय दिनांक :–** 22·05·2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अधिवक्ता श्री कैलाशपुरी व मिनजानिव मुद्दई श्री गणपतसिंह गोलिया अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दायलह्न पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादिनी का वाद स्वीकार कर डिक्री दी जाती है कि ग्राम सिवाना तहसील सिवाना के खसरा संख्या 1254, 3318 / 1255 कुल रकबा 1.9734 हैक्टेयर भूमि का निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित अनुसार पृथक खातेदारी में घोषित की जाती हैः–

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	बरंग
1	कंकू पत्नी मांगीलाल जाति राईका सा.देह खातेदार रहन एस.बी.आई.ए.डी.बी शाखा सिवाना	1254 3318 / 1255	0.0904 0.8963	लाल
	योग	2	0.9867	लाल
2	महिपालसिंह पुत्र अनोपसिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार	3318 / 1255	0.9867	भूरा
	योग	1	0.9867	भूरा

तहसीलदार सिवाना को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। बैंक रहन इस आदेश से अप्रभावित रहेगा। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22·05·2026 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 06/03/2026 12:48:25 PM

जिला : बालोतरा	तहसील : सिवाना	भू. अ. नि. क्षेत्र : सिवाना

पटवारी हल्का : सिवाना	ग्राम : सिवाना

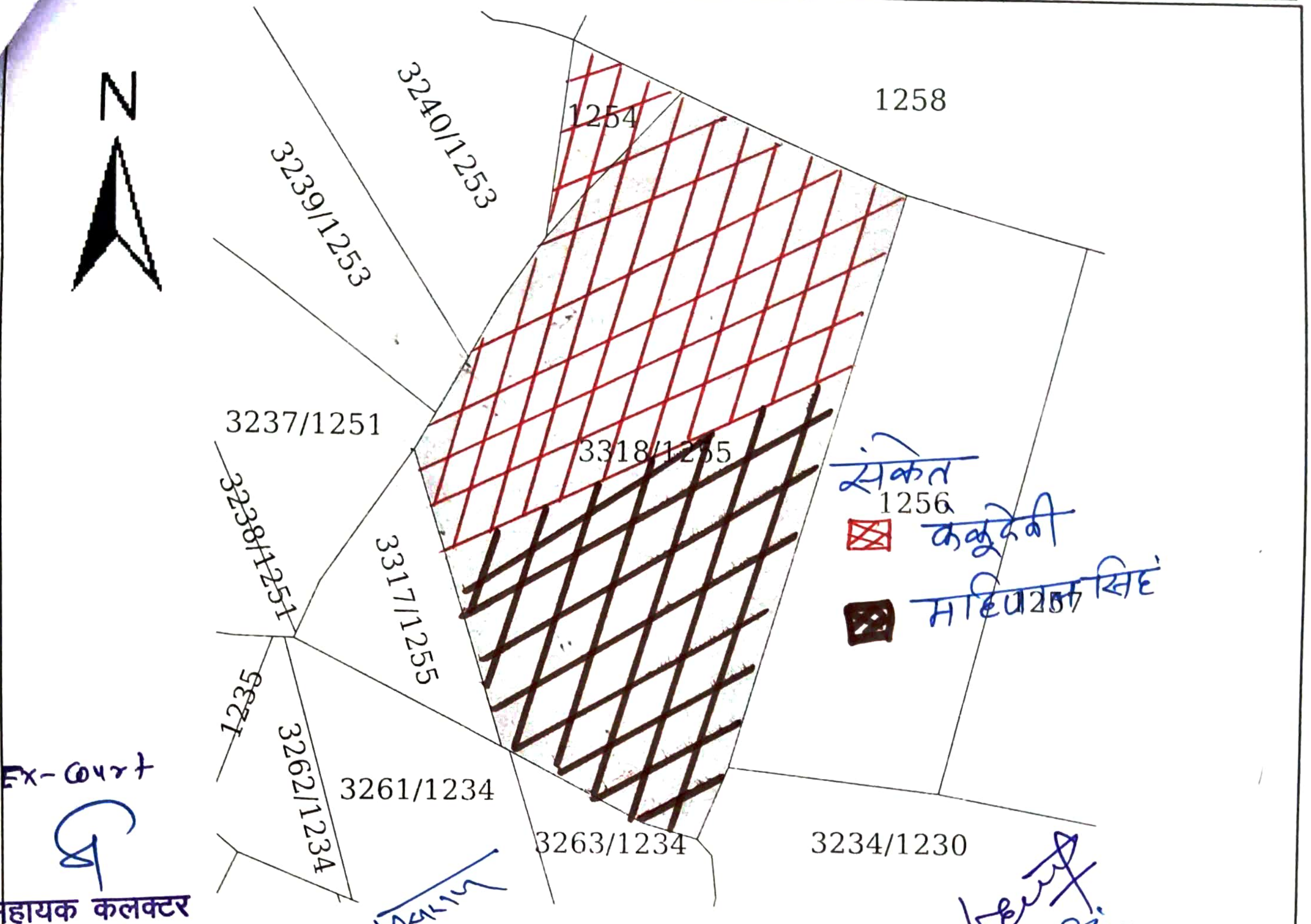

Ex-Court

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

Scale 1:2000

खसरा संख्या :3318/1255 क्षेत्रफल : 1.8830 Hectare खाता संख्या : 317पुराना खाता संख्या :539

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बारानी [1.8830]

1.) कंकु पत्नि मांगीलाल हिस्सा- 1/2 जाति- राईका सा. देह खातेदार हिस्सा-1/2 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा ADB SIWANA

2.) महिपाल सिंह पुत्र अनोप सिंह हिस्सा- 1/2 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार

(महिपाल सिंह)

19/3/26

निरीक्षक (भू.अ.) सिवाना

पटवारी (भू.अ.) सिवाना

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

तहसीलदार (भू.अ.) सिवाना

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 06/03/2026 12:48:39 PM

जिला : | तहसील : | भू. अ. नि. क्षेत्र :

पटवारी हल्का : | ग्राम :

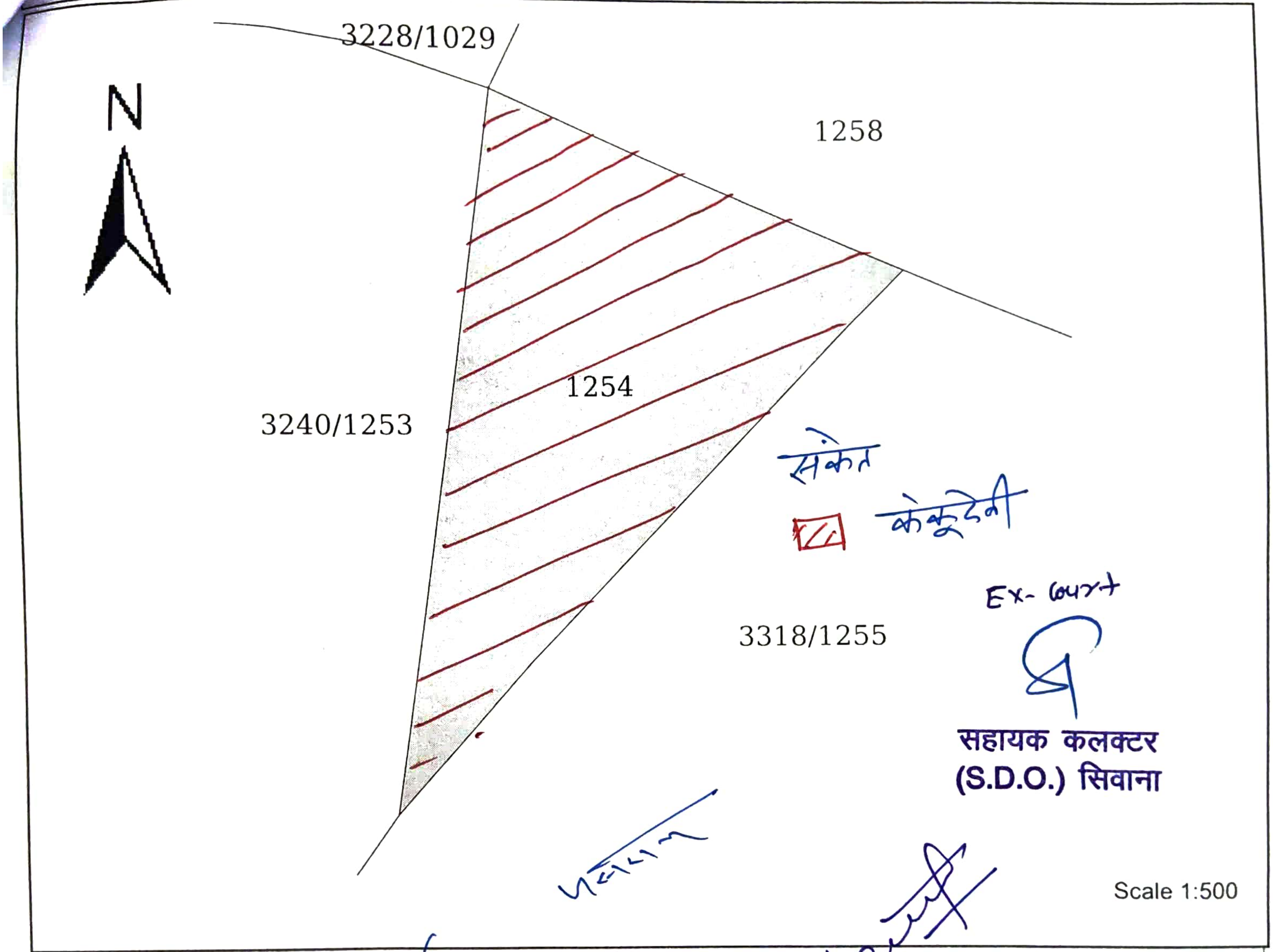

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

निरीक्षक (भू.अ.) सिवाना

पटवारी (भू.अ.) सिवाना

तहसीलदार (भू.अ.) सिवाना